...हकाम ...
...तामील ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :–15/2025

निर्णय दिनांक :– 16.10.2025

उनवान प्रार्थना पत्र :–

1. श्योजी पुत्र रामनारायण जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला–टोंक राज0।
2. नर्बदा पत्नि श्योजी जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला–टोंक राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील दूनी, जिला–टोंक राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दूनी जरिया शाखाा प्रबन्धक।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता सं0 280 खसरा नं0 669 रकबा 1.13 है0 भूमि वाके तन ग्राम धारोला प0ह0 सीतापुरा तहसील दूनी जिला–टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि में काश्त करने के लिए खसरा नं0 661 गै0मु0 रास्ता मे से खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 रकबा रकबा क्रमशः 0.10 है0, 0.49 है0, 0.48 है0, 0.22 है0, 0.84 है0, 0.25 है0, भूमि में से होते हुए आते जाते है और उक्त रास्ते का ही वर्षो से उपयोग कर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 669 में हकाई, जुताई, बुआई करते आ रहे है। खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने एवं हकाई, जुताई, बुआई आदि कार्य के लिए उपयोग मे लिये जा रहे है कदीमी रास्ता खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 मे है जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही है। इस कारण खसरा नं0 669 के उपयोग, उपभोग में लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक में दर्ज है। परन्तु प्रभावशाली लोगो द्वारा उक्त खसरा नम्बरान पर अतिक्रमण कर काश्त करते है। और प्रार्थीगण का रास्ता बन्द कर दिया है व आने जाने में मजामत करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 669 में आने–जाने का हकाई, जुताई, बुआई करने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 669 से आता–जाता है एवं उपयोग करता है। प्रार्थीगण को खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 मे 20 फिट चौडा रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि में रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता नही मांग रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 को रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जमा कराने को तत्पर है। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी नं0 3 के यहां पर प्रार्थीगण की भूमि रहन होने के कारण फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है। जिससे किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गई है। अप्रार्थीगण सं0 1 को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनया है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को खसरा नं0 662, 664, 665, 666, 667, 461, 668 ग्राम धारोला प0ह0 सीतापुरा तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 में से 20 फिट रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 669 मे आने जाने के लिए दिलवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है :– प्रार्थी को आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है प्रस्तावित रास्ते की लंबाई चौड़ाई निम्न प्रकार है:–

क0स0	ख0न0	लम्बाई मीटर मे	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1.	662	30	04	120
2.	664	14	04	56
3.	665	54	04	216
4.	666	46	04	184
5.	667	24	04	96
6.	668	72	04	288

Ruby

प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 960 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम धारोला की डीएलसी दर 403000/—रूपये प्रति है0 है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 77380/— रूपये भुगतान योग्य है। आवेदक की आराजी खसरा न0 669 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण जिस खसरा नम्बर से रास्ता चाहते है उसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य ख0न0 एक बबूल का पेड़ एक नीम का छोटा पेड़ स्थित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि राजकीय है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में 20 फीट का रास्ता चाहा गया था किन्तु मौके पर रिपोर्ट के दौरान 13 फीट चौडे रास्ते पर सहमत है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली में बहस नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ति नही है प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावंली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी ख0न0 669 में पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि आपके कार्यालय कमांक 306 दिनांक 31.07.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में सलंग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता सं0 280 खसरा नं0 669 रकबा 1.13 है0 भूमि तन ग्राम धारोला प0ह0 सीतापुरा तहसील दूनी जिला—टोंक में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु खसरा नम्बर 662, 664, 665, 666, 667, 668 में से निम्नानुसार रास्ता दिया जाना है।

क0स0	ख0न0	लम्बाई मीटर मे	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1.	662	30	04	120
2.	664	14	04	56
3.	665	54	04	216
4.	666	46	04	184
5.	667	24	04	96
6.	668	72	04	288

प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 960 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम धारोला की डीएलसी दर 403000/—रूपये प्रति है0 है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 77380/— रूपये भुगतान राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान प्रचलित डीएलसी की दुगुनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 16.10.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली